कोटि	रियायत का तत्व					
	इकहरी यात्रा टिकट			मासिक सीजन टिकट		
	पहला दर्जा	शयनयान दर्जा	दूसरा दर्जा	पहला दर्जा	शयनयान दर्जा	दूसरा दर्जा
(i) शारीरिक रूप से विकलांग/अपरंग पीड़ित व्यक्ति	75%	75%	75%	50%	—	50%
(ii) पूर्णत: गूंगे व बहरे व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों रोग साथ-साथ हों)	50%	50%	50%	50%	—	50%
(iii) नेत्रहीन व्यक्ति (पूर्णत: नेत्रहीन)	75%	75%	75%	50%	—	50%
(iv) मंदबुद्धि व्यक्ति	75%	75%	75%	50%	—	50%

शारीरिक रूप से विकलांग/अपरंग रोग से पीड़ित व्यक्तियों और मंदबुद्धि व्यक्तियों का सरकारी डाक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही, कि वे मार्गदर्शी के बिना यात्रा नहीं कर सकते, उक्त रूप में माना जाता है और वे तभी रियायत के पात्र होते हैं । मार्गदर्शी भी उसी रियायत का पात्र होता है । नेत्रहीन व्यक्तियों के मामले में, यह रियायत अकेले यात्रा करने पर अथवा मार्गदर्शी के साथ यात्रा करने पर ग्राह्य है । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और मंद बुद्धि व्यक्तियों को रियायत की सुविधा उस हालत में नहीं दी जाती, जब वे अपनी मर्जी से मार्गदर्शी के बिना यात्रा करते हैं । मार्गदर्शियों की पात्रता के संबंध में कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है ।

ऐसे व्यक्तियों को रियायती टिकट सीधे स्टेशन मास्टर द्वारा तब जारी किए जाते हैं जब वे निम्नलिखित से निर्धारित प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करते हैं :—

1. शारीरिक रूप से विकलांग/अपरंग रोग से पीड़ित व्यक्तियों के मामले में, सरकारी डाक्टर/ आर्थोपेडिक सर्जन ;
2. मंदबुद्धि और गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों के मामले में सरकारी डाक्टर ;
3. नेत्रहीन व्यक्तियों के मामले में, सरकारी डाक्टर/ आर० एम० पी०/नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के प्रमुख ।

Repair of Atomic Vessels at Cochin Shipyard

3019. SHRI M. A BABY:
SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO:
SHRI E. BALANANDAN:
Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether opening up of Cochin Shipyard for US and NATO navies will include repair of atomic vessels of these navies; and

(b) if so, details of the arrangement ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) and (b) There is no proposal to open up Cochin Shipyard for US and NATO navies; hence there is no question of inclusion of repair of atomic vessels of these navies; at Cochin Shipyard.

Repairs of National Highways in Assam and Arunachal Pradesh

3020. SHRI NYODEK YONGGAM : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the number of kilometres of National Highways in Assam and Arunachal Pradesh which need repairing;

(b) what is the total amount sanctioned to Assam and Arunachal Pradesh for repairing of National Highway during the period 1992-93;

(c) whether National Highway No. 52 which covers both the States of Assam and Arunachal Pradesh needs repairing; and

(d) if so, when the repairing works will be undertaken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d) Total length of National Highways in Assam is 2296 Km. and that in Arunachal Pradesh is 330 Km.